भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ED 409742

जिला कोषागार हाथरस 11 AUG 2018

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्ष– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हाथरस सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति, हाथरस।
द्वितीय पक्ष– मै0 मां भगवती एण्टर प्राइजेज, हलवाई खाना, हाथरस।

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हाथरस सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति, हाथरस द्वारा **"मॉनिटरिंग एण्ड ईवेल्यूऐशन मद"** के संचालन के सम्बन्ध में आज दिनांक – 11/8/18, को जनपद, हाथरस में सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 11/8/18 से 02 वर्ष व अग्रिम निर्देशों या आगामी निविदा होने तक होगी।

द्वितीय पक्ष– जिला हाथरस के समस्त सामु0 स्वा0 केन्द्रों पर 07 वाहन एवं जनपद मुख्यालय हेतु 02 वाहन (कुल 09 वाहन) एवं शासनादेश व आवश्यकता हेतु अतिरिक्त वाहन **"मॉनिटरिंग एण्ड ईवेल्यूऐशन मद"** के अन्तर्गत स्वीकृत निविदा की दर रू0 23551.00 (रुपये तेईस हजार पांच सौ इक्यावन मात्र) प्रति माह की दर पर वाहनों को संचालित करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

1. सेवा प्रदाता, प्रथम पक्ष को उपरोक्तानुसार अनुमोदित दरों पर 1500 कि0मी0 अधिकतम उपयोग हेतु उपलब्ध करायेगा, जिसमें निविदा शर्तों के अनुरूप 5 कि0मी0 प्रतिदिन के हिसाब से गैराज से कार्यस्थल पर लाने हेतु समायोजित होगी।
2. वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः उपलब्ध होगीः–
   - वाहन पंजीकृत होना चाहिये।
   - वाहन वर्ष 2014 अथवा उसके पश्चात् का ही पंजीकृत होना चाहिये, इससे अधिक पुराना न हो।
   - वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
   - वाहन में जी0पी0आर0एस0 सिस्टम लगा हो, जिसकी रिपोर्ट हर माह उपलब्ध करायेगा।
   - वाहन में पेट्रौल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
   - दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा क़म्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेसिव के तहत मिलेगी।
3. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना द्वितीय पक्ष की अनिवार्य जिम्मेदारी है।
4. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स, आदि द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।

Anil Kumar

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

5. वाहन को प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई आवश्यक रख रखाव द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। नियमित जाँच हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा।
6. द्वितीय पक्ष धरोहर राशि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति, हाथरस के नाम स्वीकृत वार्षिक दरों का 10 प्रतिशत मूल्य की धरोहर राशि जमा करेगा। जो कि, किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को वापिस करनी होगी।
7. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य लाइसेंस होना अनिवार्य है द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा। प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रण कर्ता अधिकारी, के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि, वह यह भी सुनिश्चित करें कि, वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को ही होगा।
8. ऐजेन्सी को आवंटित स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने पर प्रतिमाह स्वीकृत/अनुमोदित धनराशि का नियत भुगतान किया जायेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लॉग बुक के साथ आगामी 5 तारीख तक भुगतान हेतु प्रथम पक्ष को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जायेगा।
9. वाहन की छोटी मोटी टूट–फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट–फूट भी 24 घण्टे में सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
10. द्वितीय पक्ष को भुगतान राज्य स्तर से सम्बन्धित कार्यक्रम के अन्तर्गत बजट धनराशि आवंटन के पश्चात् ही किया जायेगा।
11. वाहन के किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैद्यानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिये किसी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।
12. ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा अधिकारी और कर्मचारी द्वारा वाहन का उपयोग निर्धारित अवधि के अतिरिक्त निजी/व्यक्तिगतहित में किया जाता है तो, उसका समस्त उत्तरदायित्व ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी/कर्मचारी का होगा। इसके लिये प्रथम पक्ष उत्तर दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष निर्धारित समय के अतिरिक्त वाहन उपयोग पर देय प्रतिकर धनराशि की माँग ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी के करने के लिये स्वतंत्र होगा। जिसके भुगतान की जिम्मेदारी उपयोगकर्ता चिकित्सा अधिकारी/कर्मचारी की होगी। इसके लिये प्रथम पक्ष किसी भी प्रकार का उत्तरदायी नहीं होगा।
13. अनुबन्धित वाहन का उपयोग निर्धारित ब्लॉक एवं जनपद मुख्यालय की सीमा की परिधि के अन्तर्गत होगा।
14. यह अनुबन्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।
15. द्वितीय पक्ष अवगत है कि अनुबन्धित वाहन ब्लॉक चिकित्सालय पर अधीक्षक सामु0 स्वा0 केन्द्र की देख–रेख में उपयोग किया जायेगा। वाहन प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक निर्धारित समय पर स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध होगा। इसके लिये प्रथम पक्ष किसी भी प्रकार का उत्तरदायी नहीं होगा। वाहन पर नियुक्त वाहन चालक को सम्बन्धित सामु0 स्वा0 केन्द्रों पर उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
16. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि, वह द्वितीय पक्ष के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण माँग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जबाव संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।
17. द्वितीय पक्ष द्वारा यदि किसी भी कार्य दिवस में वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसकी कटौती दैनिक भत्ते के आगणन के अनुरूप होगी।
18. अनुबन्ध के समय कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा जनपद हाथरस के न्यायालय में होगा तथा उसकी निर्णय दोनों पक्षों का मान्य होगा।
19. उपरोक्त के अतिरिक्त निविदा हेतु अपलोड किये गये दिशा निर्देशों का पालन भी द्वितीय पक्ष को करना होगा।

हस्ताक्षर ....
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति,
हाथरस (प्रथम पक्ष)

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
हाथरस

हस्ताक्षर Anil Kum
मै0 मां भगवती एण्टर प्राइजेज
हलवाई खाना, हाथरस।
(द्वितीय पक्ष)

गवाह 1. सुनील कुमार, ब्लॉक (हाथरस)
2. राहुल वार्ष्णेय, हाथरस

स्थान – हाथरस।
दिनांक – ....

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

जिला कोषागार
27 MAR 2018
हाथरस

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DZ 918831

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्ष– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हाथरस सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति, हाथरस।
द्वितीय पक्ष– मै0 मां भगवती एण्टर प्राइजेज, हलवाई खाना, हाथरस।

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हाथरस सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति, हाथरस द्वारा **"राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम मद"** के संचालन के सम्बन्ध में आज दिनांक – 1/8/2018 को जनपद, हाथरस में सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 1/8/18 से 02 वर्ष व अग्रिम निर्देशों या आगामी निविदा होने तक होगी।

द्वितीय पक्ष– जिला हाथरस के समस्त सामु0 स्वा0 केन्द्रों पर 2 वाहन प्रति केन्द्र (कुल 14 वाहन) **"राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम मद"** के अन्तर्गत स्वीकृत निविदा की दर रू0 23551.00 (रुपये तेईस हजार पांच सौ इक्यावन मात्र) प्रति माह की दर पर वाहनों को संचालित करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा।

1. सेवा प्रदाता, प्रथम पक्ष को उपरोक्तानुसार अनुमोदित दरों पर 1000 कि0मी0 अधिकतम उपयोग हेतु उपलब्ध करायेगा, जिसमें निविदा शर्तों के अनुरूप 5 कि0मी0 प्रतिदिन के हिसाब से गैराज से कार्यस्थल पर लाने हेतु समायोजित होगी।
2. वाहन में निम्नलिखित सुविधा अनिवार्यतः उपलब्ध होगीः–
   - वाहन पंजीकृत होना चाहिये।
   - वाहन वर्ष 2014 अथवा उसके पश्चात् का ही पंजीकृत होना चाहिये, इससे अधिक पुराना न हो।
   - वाहन में प्राथमिक उपचार किट हो।
   - वाहन में जी0पी0आर0एस0 सिस्टम लगा हो, जिसकी रिपोर्ट हर माह उपलब्ध करायेगा।
   - वाहन में पेट्रौल/डीजल द्वितीय पक्ष द्वारा भरवाया जायेगा।
   - दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की काम्प्रेहेसिव के तहत मिलेगी।
3. वाहन का पूर्ण बीमा, पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना द्वितीय पक्ष की अनिवार्य जिम्मेदारी है।
4. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स, आदि द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।

Anil Kr

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

5. वाहन को प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई आवश्यक रख रखाव द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। नियमित जाँच हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा।
6. द्वितीय पक्ष धरोहर राशि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति, हाथरस के नाम स्वीकृत वार्षिक दरों का 10 प्रतिशत मूल्य की धरोहर राशि जमा करेगा। जो कि, किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को वापिस करनी होगी।
7. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैद्य लाइसेंस होना अनिवार्य है द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा। प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रण कर्ता अधिकारी, के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि, वह यह भी सुनिश्चित करें कि, वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को ही होगा।
8. ऐजेन्सी को आवंटित स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक वाहन उपलब्ध कराने पर प्रतिमाह स्वीकृत/अनुमोदित धनराशि का नियत भुगतान किया जायेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लॉग बुक के साथ आगामी 5 तारीख तक भुगतान हेतु प्रथम पक्ष को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जायेगा।
9. वाहन की छोटी मोटी टूट–फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बड़ी टूट–फूट भी 24 घण्टे में सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
10. द्वितीय पक्ष को भुगतान राज्य स्तर से सम्बन्धित कार्यक्रम के अन्तर्गत बजट धनराशि आवंटन के पश्चात् ही किया जायेगा।
11. वाहन के किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैद्यानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिये किसी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।
12. ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा अधिकारी और कर्मचारी द्वारा वाहन का उपयोग निर्धारित अवधि के अतिरिक्त निजी/व्यक्तिगतहित में किया जाता है तो, उसका समस्त उत्तरदायित्व ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी/कर्मचारी का होगा। इसके लिये प्रथम पक्ष उत्तर दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्ष निर्धारित समय के अतिरिक्त वाहन उपयोग पर देय प्रतिकर धनराशि की माँग ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी के करने के लिये स्वतंत्र होगा। जिसके भुगतान की जिम्मेदारी उपयोगकर्ता चिकित्सा अधिकारी/कर्मचारी की होगी। इसके लिये प्रथम पक्ष किसी भी प्रकार का उत्तरदायी नहीं होगा।
13. अनुबन्धित वाहन का उपयोग निर्धारित ब्लॉक एवं जनपद मुख्यालय की सीमा की परिधि के अन्तर्गत होगा।
14. यह अनुबन्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।
15. द्वितीय पक्ष अवगत है कि अनुबन्धित वाहन ब्लॉक चिकित्सालय पर अधीक्षक सामु० स्वा० केन्द्र की देख–रेख में उपयोग किया जायेगा। वाहन प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक निर्धारित समय पर स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध होगा। इसके लिये प्रथम पक्ष किसी भी प्रकार का उत्तरदायी नहीं होगा। वाहन पर नियुक्त वाहन चालक को सम्बन्धित सामु० स्वा० केन्द्रों पर उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
16. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि, वह द्वितीय पक्ष के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण माँग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जबाव संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।
17. द्वितीय पक्ष द्वारा यदि किसी भी कार्य दिवस में वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसकी कटौती दैनिक भत्ते के आगणन के अनुरूप होगी।
18. अनुबन्ध के समय कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा जनपद हाथरस के न्यायालय में होगा तथा उसकी निर्णय दोनों पक्षों का मान्य होगा।
19. उपरोक्त के अतिरिक्त निविदा हेतु अपलोड किये गये दिशा निर्देशों का पालन भी द्वितीय पक्ष को करना होगा।

हस्ताक्षर ....
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति,
हाथरस (प्रथम पक्ष)

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
हाथरस

हस्ताक्षर Anil Kumar
मै० मां भगवती एण्टर प्राइजेज
हलवाई खाना, हाथरस।
(द्वितीय पक्ष)

गवाह 1. सुनील कुमार, ब्लॉक, हाथरस Sunil.
2. राहुल वार्ष्णेय, हाथरस

स्थान – हाथरस।
दिनांक – ....

कार्यालय– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हाथरस।

पत्रांकःमु0चि0अ0 / निविदा / 2018–2019 – 69 दिनांक– 25/4/18

कार्य–आदेश

मैसर्स,

शोभित गुप्ता टूर एण्ड ट्रैवल्स,
खाती खाना, हाथरस।

विषयः वाहनो के नवीन ई–टेण्डर प्रकिया होने तक वाहन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जनपद में वाहनो हेतु नवीन ई–टेण्डर होने अथवा अग्रिम निर्देशो तक जो भी पहले हो आर0बी0एस0के0 / मॉनिटरिंग हेतु यदि आप अपनी पूर्व निविदा शर्तो एवं दरो पर वाहन चलाने हेतु सहमत है तो सहमति पत्र कार्यालय में उपलब्ध कराते हुये दिनांक–25.04.2018 से वाहन उलपब्ध कराना सुनिश्चित करे। नवीन निविदा होने अथवा अग्रिम आदेशो पर उक्त कार्य आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा उक्त के पश्चात आपके द्वारा उपलब्ध वाहन उपलब्ध कराने पर कोई भुगतान इस कार्यालय से नही किया जायेगा।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
हाथरस।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
हाथरस

कार्यालय– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हाथरस।

पत्रांकःमु0चि0अ0 / निविदा / 2017–2018 (68) दिनांक– 25/4/18

कार्य–आदेश

मैसर्स,

सुविधा ट्रेवल्स ऐजेन्सीज एण्ड ऐम्बुलैसं सर्विसेज
डाक खाना गली, हाथरस।

विषयः वाहनो के नवीन ई–टेण्डर प्रक्रिया होने तक वाहन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जनपद में वाहनो हेतु नवीन ई–टेण्डर होने अथवा अग्रिम निर्देशो तक जो भी पहले हो आर0बी0एस0के0 कार्यक्रम हेतु यदि आप अपनी पूर्व निविदा शर्तो एवं दरो पर वाहन चलाने हेतु सहमत है तो सहमति पत्र कार्यालय में उपलब्ध कराते हुये दिनांक–25.04.2018 से वाहन उलपब्ध कराना सुनिश्चित करे। नवीन निविदा होने अथवा अग्रिम आदेशो पर उक्त कार्य आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा उक्त के पश्चात आपके द्वारा उपलब्ध वाहन उपलब्ध कराने पर कोई भुगतान इस कार्यालय से नही किया जायेगा।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
हाथरस।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
हाथरस

कार्यालय– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हाथरस।

पत्रांकःमु0चि0अ0 / निविदा / 2017–2018–67 दिनांक– 25/4/18

कार्य–आदेश

श्री सुनील कुमार, वाहन स्वामी(आर0बी0एस0के0 कार्यक्रम)
हाथरस।

विषयः वाहनो के नवीन ई–टेण्डर प्रक्रिया होने तक वाहन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जनपद में वाहनो हेतु नवीन ई–टेण्डर होने अथवा अग्रिम निर्देशो तक जो भी पहले हो आर0बी0एस0के0 / मॉनिटरिंग हेतु यदि आप अपनी पूर्व निविदा शर्तो एवं दरो पर वाहन चलाने हेतु सहमत है तो सहमति पत्र कार्यालय में उपलब्ध कराते हुये दिनांक–25.04.2018 से वाहन उलपब्ध कराना सुनिश्चित करे। नवीन निविदा होने अथवा अग्रिम आदेशो पर उक्त कार्य आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा उक्त के पश्चात आपके द्वारा उपलब्ध वाहन उपलब्ध कराने पर कोई भुगतान इस कार्यालय से नही किया जायेगा।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
हाथरस।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
हाथरस

कार्यालय– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हाथरस।

पत्रांक:मु0चि0अ0 / निविदा / 2017–2018 -66 दिनांक– 25/4/18

कार्य–आदेश

श्री धमेन्द्र कुमार, वाहन स्वामी(आर0बी0एस0के0 कार्यक्रम)
हाथरस।

विषयः वाहनो के नवीन ई–टेण्डर प्रकिया होने तक वाहन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जनपद में वाहनो हेतु नवीन ई–टेण्डर होने अथवा अग्रिम निर्देशो तक जो भी पहले हो आर0बी0एस0के0 / मॉनिटरिंग हेतु यदि आप अपनी पूर्व निविदा शर्तो एवं दरो पर वाहन चलाने हेतु सहमत है तो सहमति पत्र कार्यालय में उपलब्ध कराते हुये दिनांक–25.04.2018 से वाहन उलपब्ध कराना सुनिश्चित करे। नवीन निविदा होने अथवा अग्रिम आदेशो पर उक्त कार्य आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा उक्त के पश्चात आपके द्वारा उपलब्ध वाहन उपलब्ध कराने पर कोई भुगतान इस कार्यालय से नही किया जायेगा।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
हाथरस।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
हाथरस

कार्यालय– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हाथरस।

पत्रांकःमु0चि0अ0 / निविदा / 2017–2018 – 65 दिनांक– 25/4/18

कार्य–आदेश

श्री अमर अग्निहोत्री, वाहन स्वामी(आर0बी0एस0के0 कार्यक्रम)
हाथरस।

विषयः वाहनो के नवीन ई–टेण्डर प्रकिया होने तक वाहन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जनपद में वाहनो हेतु नवीन ई–टेण्डर होने अथवा अग्रिम निर्देशो तक जो भी पहले हो आर0बी0एस0के0 / मॉनिटरिंग हेतु यदि आप अपनी पूर्व निविदा शर्तो एवं दरो पर वाहन चलाने हेतु सहमत है तो सहमति पत्र कार्यालय में उपलब्ध कराते हुये दिनांक–25.04.2018 से वाहन उलपब्ध कराना सुनिश्चित करे। नवीन निविदा होने अथवा अग्रिम आदेशो पर उक्त कार्य आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा उक्त के पश्चात आपके द्वारा उपलब्ध वाहन उपलब्ध कराने पर कोई भुगतान इस कार्यालय से नही किया जायेगा।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
हाथरस।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
हाथरस

D/C

कार्यालय– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हाथरस।

पत्रांकःमु0चि0अ0 / निविदा / 2017–2018 –(64) दिनांक– 25/4/18

कार्य–आदेश

श्री पूनम अग्निहोत्री, वाहन स्वामी(आर0बी0एस0के0 कार्यक्रम)
हाथरस।

विषयः वाहनो के नवीन ई–टेण्डर प्रक्रिया होने तक वाहन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जनपद में वाहनो हेतु नवीन ई–टेण्डर होने अथवा अग्रिम निर्देशो तक जो भी पहले हो आर0बी0एस0के0 / मॉनिटरिंग हेतु यदि आप अपनी पूर्व निविदा शर्तो एवं दरो पर वाहन चलाने हेतु सहमत है तो सहमति पत्र कार्यालय में उपलब्ध कराते हुये दिनांक–25.04.2018 से वाहन उलपब्ध कराना सुनिश्चित करे। नवीन निविदा होने अथवा अग्रिम आदेशो पर उक्त कार्य आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा उक्त के पश्चात आपके द्वारा उपलब्ध वाहन उपलब्ध कराने पर कोई भुगतान इस कार्यालय से नही किया जायेगा।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
हाथरस।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
हाथरस

O/C

B.P. 2018-19. 221
29/08/2018.

STATUS OF VEHICLE UNDER M & E FOR 2018-19

Sl. No.	Name of District	No. of Block	Name of Block	Type of Vehicle	Registraction No. of Vehicle	Taxi Permit No. of Vehicle	Name of Agency/Vehivle's owner	Mobile No.	Name of MO/IC	Period	Rate	Amount	TDS	Paid Amount
1	HATHRAS	09	Head Office	Bolero	UP 86 T 2289	Yes	M/s Shobit Gupta Tour & Travalls	9690145210	Dr. Santosh Kumar	26-04-2018 to 31-07-2018	24,900.00	78,850.00	1,577.00	77,273.00
2			Head Office	Indigo	UP 86 T 3740	Yes	M/s Shobit Gupta Tour & Travalls	9690145210	DPMU, Hathras	26-04-2018 to 31-07-2018	24,900.00	78,850.00	1,577.00	77,273.00
3			Sikandra Rao	Van	UP 86 T 2306	Yes	M/s Shobit Gupta Tour & Travalls	9690145210	Dr. K.K. Sharma	26-04-2018 to 31-07-2018	24,900.00	78,850.00	1,577.00	77,273.00
4			Sahapu	Van	UP 86 E 6493	Yes	M/s Shobit Gupta Tour & Travalls	9690145210	DR. PRAKASH MOHAN	26-04-2018 to 31-07-2018	24,900.00	78,850.00	1,577.00	77,273.00
5			Sasni	Van	UP 86 T 2415	Yes	M/s Shobit Gupta Tour & Travalls	9690145210	Dr. Pradeep Rawat	26-04-2018 to 31-07-2018	24,900.00	78,850.00	1,577.00	77,273.00
6			Sadabad	Van	UP 86 T 9913	Yes	M/s Shobit Gupta Tour & Travalls	9690145210	Dr. Danveer singh	26-04-2018 to 31-07-2018	24,900.00	78,850.00	1,577.00	77,273.00
7			Mursan	Magic	UP 86 T 3246	Yes	M/s Shobit Gupta Tour & Travalls	9690145210	Dr. Vijay Anand	26-04-2018 to 31-07-2018	24,900.00	78,850.00	1,577.00	77,273.00
8			Maho	Van	UP 86 T 4386	Yes	M/s Shobit Gupta Tour & Travalls	9690145210	Dr. S.P. Singh	26-04-2018 to 31-07-2018	24,900.00	78,850.00	1,577.00	77,273.00
9			Hasayan	Van	UP 86 T 4690	Yes	M/s Shobit Gupta Tour & Travalls	9690145210	Dr. Ravi Koshik	26-04-2018 to 31-07-2018	24,900.00	78,850.00	1,577.00	77,273.00
											Grand Total	**7,09,650.00**	**14,193.00**	**6,95,457.00**

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
हाथरस

STATUS OF VEHICLE UNDER RBSK PAYMENT (2018-19)

CP-2018-19-37
29-8-18
BP-2018-19-200
29-08-18

Sl. No.	Name of District	No. of Block	Name of Block	Type of Vehicle	Registraction No. of Vehicle	Taxi Permit No. of Vehicle	Name of Agency/ Vehivle's owner	Mobile No.	Name of MO/IC	Mobile No.	Period	Rate	Month's	Amount	TDS 2%	Paid Amount
1	HATHRAS	07	Sikandra Rao	Van	UP 86 T 2413	Yes	M/s Sobhit Gupta	9690145210	Dr. K.K. Sharma	9411002260	26-04-2018 to 31-07-2018	28,500.00	3Months, 5Days	90,250.00	1,805.00	**88,445.00**
2				Van	UP 80 CT 4655	Yes	M/s Sobhit Gupta	9690145210	Dr. K.K. Sharma	9411002260	26-04-2018 to 31-07-2018	28,500.00	3Months, 5Days	90,250.00	1,805.00	**88,445.00**
3			Sasni	Van	UP 86 T 3824	Yes	Shri Sunil Kumar	8006630355	Dr. Pradeep Rawat	9897484584	26-04-2018 to 31-07-2018	25,000.00	3Months, 5Days	79,165.00	1,583.00	**77,582.00**
4				Van	UP 86 T 2530	Yes	Shri Dharmendra Kumar-	9758925707	Dr. Pradeep Rawat	9897484584	26-04-2018 to 31-07-2018	26,800.00	3Months, 5Days	84,865.00	1,697.00	**83,168.00**
5			Sadabad	Van	UP 86 T 2522	Yes	M/s Sobhit Gupta	9690145210	Dr. Danveer Singh	9412064761	26-04-2018 to 31-07-2018	28,700.00	3Months, 5Days	90,833.00	1,817.00	**89,016.00**
6				Van	UP 86 T 3873	Yes	M/s Sobhit Gupta	9690145210	Dr. Danveer Singh	9412064761	26-04-2018 to 31-07-2018	28,700.00	3Months, 5Days	90,833.00	1,817.00	**89,016.00**
7			Mursan	Van	UP 86 T 2416	Yes	Shri Amar Agnihotri	9997024771	Dr. S.S. Bhadoriya	8865935909	26-04-2018 to 31-07-2018	26,900.00	3Months, 5Days	85,183.00	1,704.00	**83,479.00**
8				Van	UP 86 T 2527	Yes	Smt. Poonam	8650073561	Dr. S.S. Bhadoriya	8865935909	26-04-2018 to 31-07-2018	26,900.00	3Months, 5Days	85,183.00	1,704.00	**83,479.00**
9			Maho	Van	UP 86 T 2414	Yes	M/s Suvidha Trawells agency & ambulance services	9760017642	Dr. S.P. Singh	8937917888	01-05-2018 to 31-05-2018	26,000.00	1 month	26,000.00	520.00	**25,480.00**
10				Van	UP 86 T 6493	Yes	M/s Sobhit Gupta	9690145210	Dr. S.P. Singh	8937917888	01-06-2018 to 31-07-2018	26,000.00	2 month	52,000.00	1,040.00	**50,960.00**
11				Etios	UP 81 BT 7763	Yes	M/s Sobhit Gupta	9690145210	Dr. S.P. Singh	8937917888	26-04-2018 to 31-07-2018	26,000.00	3Months, 5Days	82,333.00	1,647.00	**80,686.00**
12			Sahpau	Van	UP 85 AC 4617	Yes	M/s Suvidha Trawells agency & ambulance services	9760017642	Dr. Franky Sharma	9412064761	01-05-2018 to 31-07-2018	29,800.00	3 months	89,400.00	1,788.00	**87,612.00**
13			Hasayan	Van	UP 86 T 2616	Yes	M/s Suvidha Trawells agency & ambulance services	9760017642	Dr. Naveen	8923833035	01-05-2018 to 31-07-2018	29,800.00	3 months	89,400.00	1,788.00	**87,612.00**
14				Van	UP 86 R 3031	Yes	M/s Suvidha Trawells agency & ambulance services	9760017642	Dr. Naveen	8923833035	01-05-2018 to 31-07-2018	29,800.00	3 months	89,400.00	1,788.00	**87,612.00**
													Grand Total	**11,25,095.00**	**22,503.00**	**11,02,592.00**

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
हाथरस